छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/2/2007–आई.आर. दिनांक 23 मार्च 2007 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
27/9/08
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक सितम्बर, 08
प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/2/2007–आई.आर. दिनांक 23 मार्च 2007 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

C-1\E:\Kushwaha\Kushwaha Letters\73

-176-

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 141
दिनांक 30.7.08

फाईल संख्या-1/2/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 23 मार्च, 2007

DS(R) 29/7 US(m) 29/7
30-सू-प्रको 66

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के ध्यान में निम्न तथ्य लाए गए हैं :-

(i) कुछ लोक प्राधिकारियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अब तक लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को पदनामित नहीं किया है;

(ii) कुछ लोक प्राधिकारी भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में शुल्क की अदायगी स्वीकार नहीं करते हैं;

(iii) कुछ लोक प्राधिकारी अपने लेखा अधिकारी के नाम पर धारित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं करते हैं तथा इसे अपने आहरण तथा वितरण अधिकारी, अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी आदि के नाम से ही आहरित करने पर बल देते हैं; और

(iv) कुछ लोक प्राधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करते तथा इस बात पर बल देते हैं कि सूचना मांगने के लिए किया गया आवेदन केवल उनके द्वारा निर्धारित किसी प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाए।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर अपने अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक एककों अथवा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इसी तरह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर प्रत्येक उप-मण्डलीय स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधिनियमन को अब तक एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी तथा/अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनामित नहीं किया जाना इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है।

3. सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006 द्वारा यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु भुगतान का अनुमोदित तरीका, नकद भुगतान अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क स्वीकार न करना अथवा इस बात पर बल देना कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर, लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी

-177-
-82-

के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम से आहरित होना चाहिए, इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

4. धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहता है वो लिखित अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अथवा जिस स्थान पर आवेदन किया जा रहा है वहां की शासकीय भाषा में एक अनुरोध करेगा। सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम अथवा नियमों में सूचना मांगे जाने हेतु कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। इस आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाना कि वह निर्धारित प्रपत्र में नहीं है इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह अनुरोध है कि सभी लोक प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि :

(i) यदि अभी तक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित नहीं किए गए हैं तो उन्हें तुरंत पदनामित किया जाए। इन अधिकारियों का ब्यौरा वेबसाईट पर भी रखा जाए;

(ii) भारतीय पोस्टल ऑर्डर सहित नियमों में निर्धारित किसी भी तरीके से किया गया भुगतान स्वीकार किया जाए;

(iii) लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किए जाएँ;

(iv) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएं कि वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ।

*****